Annexure -I X

उत्तरांचल शासन
विद्या0 शि0 सूचना विभाग
संख्या – 221/स0वि0शि0 एवं सू0/2005
देहरादून : दिनांक 29 अगस्त 2005

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की तैयारी हेतु निर्गत किये गये शासनदेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई 2005 में उल्लेख किये गये कार्यों की समीक्षा हेतु शीघ्र ही एक बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

इस बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्न 02 विषयों पर विशेष रूप से समीक्षा की जायेगी :

1. विभाग की सभी लोग प्राधिकारियों द्वारा सूचना अधिकारियों (PIO) सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) तथा विभागीय अपील अधिकारियों (DAA) को नामित किये जाने की प्रगति।
2. विभाग की सभी लोक प्राधिकारियों में अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं के संबंध में मैनुअल तैयार करने की प्रगति की समीक्षा।

उक्त दोनों विषयों के संबंध में कृपया संलग्न प्रारूप में आख्या दिनांक 31 अगस्त 2005 तक भिजवाने का कष्ट करें।

(डी.के. कोटिया)
सचिव

<u>सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयारी की प्रगति</u>

विभाग का नाम	विभाग की सभी लोक प्राधिकारियों में (PIO), (APIO) एवं (DAA) को नामित किया जाना		विभाग की सभी लोक प्राधिकारियों में 16 मैनुअल तैयार करने का कार्य पूर्ण (Overall स्थिति)				
			<25%	25%-30%	50%-75%	>75%	100%

<u>नोट : – कृप्या संबंधित कॉलम को √ किया जाय।</u>

हस्ताक्षर–
पदनाम –

सूचना का अधिकर अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में आयोजित सतीक्षा बैठक दिनांक 05.09.2005 का कार्यवृत्त :

क्रंसं	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्रीमती विभापुरी दास	प्रमुख सचिव एव आयुक्त	वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
2	श्री एन.एस. नपलच्याल	प्रमुख सचिव	कार्मिक विभाग
3	श्री राजीव गुप्ता	प्रमुख सचिव	सचिवालय प्रशासन एवं परिवहन
4	श्री पी.के. मोहन्ती	सचिव	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज
5	श्री बी.पी. पाण्डे	सचिव	पेयजल
6	श्रीमती राधा रतूड़ी	सचिव	समाज कल्याण एवं वित्त
7	श्री नवीन चन्द्र शर्मा	सचिव	सहकारिता
8	श्री वी.सी. चन्दोला	सचिव	आबकारी विभाग
9	श्री मदन सिंह	सचिव	सैनिक कल्याण
10	श्रीमती हेमलता ढौंडियाल	अपर सचिव	पुनर्गठन विभाग
11	श्री सुबर्द्धन	अपर सचिव	सामान्य प्रशासन समाज कल्याण
12	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	अपर सचिव	संस्कृति, खेल एवं आयुष
13	श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल	अपर सचिव	चिकित्सा स्वास्थ्य
14	श्री राजीव चन्द्र जोशी	अपर सचिव	लोक निर्माण विभाग
15	श्री आनन्द बर्द्धन	अपर सचिव	पर्यटन एवं उद्योग
16	श्री अरविन्द सिंह हयांकी	अपर सचिव	सिंचाई
17	श्री आर.डी. पालीवाल	अपर सचिव	न्याय
18	श्री सुब्रत विश्वास	अपर सचिव	शहरी विकास
19	श्री किशन नाथ	अपर सचिव	सचिवालय प्रशासन वन
20	श्री के.एन. पाण्डेय	प्रभारी	डी.एम.एम.सी.
21	श्री दयाचन्द	अधीक्षण अभियन्ता	पी.डब्लू.डी
22	श्री बी.पी. मैठाणी	समन्वयक	राज्य स्तरीय टास्क फोर्स
23	श्री सन्तोष बडोनी	अनुसचिव	पर्यटन, सूचना, खेल, संस्कृति एवं युवा कल्याण

बैठक में लिये गये निर्णय :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की प्रगति के प्रमुख कार्यक्रमों का एक फोल्डर तैयार किया जाये जिसे समय समय पर अपडेट किया जाये।

2. अनुभागों, अधिकारियों, सचिवों एवं माननीय मंत्रीगणों के मध्य कार्य आवंटन, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन के स्तर आदि को अधिनियम की मांग के अनुरूप तत्काल देख लिया जाये व उस पर सुनिश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर ली जाये।

3. मैनुअल तैयार किये जाने हेतु कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका का सहयोग लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव, सूचना विभाग से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 से 11.00 बजे के मध्य विभिन्न विभागों द्वारा अपने मैनुअल्स के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

4. विभागों में मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों द्वारा अपने विभागों में एवं अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों/ कर्मचारियों का अनवरत प्रशिक्षण दिया जाये। साथ ही सभी विभागों को वितरित इस अधिनियम की प्रतियों को भी व्यापक रूप से वितरित किया जाये।

.5. सार्वजनिक उपक्रमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की प्रगति समीक्षा के लिये अलग से बैठक आयोजित की जाये एवं ऐसे संगठनों के माननीय अध्यक्षों एवं माननीय उपाध्यक्षगणों एवं अन्य ऐसे महानुभावों के उपयोगार्थ भी एक बैठक/कार्यशाला आयोजित जाये।

6. इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अवस्थापना विकास शाखा वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त शाखा, समाज कल्याण आयुक्त शाखा, गृह, वित्त, स्वास्थ्य व विविध (मुख्य सचिव) शाखा में सूचना सेल/मीडिया सेंटर बनाये जाने की कार्यवाही की जाये।

7. सभी जिलों मे अधिनियम की दृष्टि से जिला सूचना अधिकारी को नोडल अधिकरी बनाया जा चुका है। जिला सूचना कार्यालयों का सुदृढीकरण कर के प्रत्येक जिले में सूचना केन्द्र/मीडिया सेंटर विकसित किया जाये।

8. विभागों द्वारा किये जाने वाले स्वतः प्रकटन (Voluntary Disclosure) में विभिन्न योजनाओं का विवरण सभी मैनुअल तथा अन्य सूचनाओं हेतु एन.आई.सी. से इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम अलग से समन्वय कर तैयार किया जाये।

9. मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण से जो विभाग/अधिकारी छूट गये हैं, उनके लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण देहरादून में शीघ्र आयोजित किया जाये।

10. सूचना के अधिकर अधिनयम की धारा 4 के अंतर्गत 16 बिन्दुओं पर जो मैनुअल्स तैयार किये जाने हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा से यह विदित हुआ है कि अभी अनेक विभागों की समय सारणी के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर 2005 तक यह कार्य अवश्य पूर्ण हो जाय। इस उद्देश्य हेतु सभी प्रमुख सचिव स्वयं समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डी.के. कोटिया)
सचिव